

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371 वर्ष: 47 संख्या: 59 प्रभात बीकानेर, रविवार 21 सितम्बर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ट्रंप ने भारतीय प्रोफैशनल्स पर सर्विस टैरिफ का भारी चपत धरा

पहले एच-1बी वीज़ा की एप्लीकेशन पर 1700 से 4500 डॉलर की फीस लगती थी, जो बढ़ाकर 100,000 डॉलर प्रति आवेदक हो गई, जो हर वर्ष लगेगी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितंबर। डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोफेशनल्स के अमेरिका जाकर काम करने पर सेवाओं के निर्यात शुल्क में 2250 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

अब तक, एच-1बी वीज़ा की आवेदन फीस प्रति आवेदन 1700 डॉलर से 4500 डॉलर होती थी। अब इसे बढ़ाकर प्रति आवेदक प्रति वर्ष 100,000 डॉलर कर दिया गया है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा है कि कंपनियों को यह तय करना होगा कि क्या वे इतना दाम देकर किसी विदेशी कर्मचारी को नौकरी पर रखना चाहेंगी या किसी शिक्षित अमेरिकी को नौकरी देंगी।

रिपोर्टों के अनुसार, नया शुल्क 21 सितंबर से लागू होगा। इस तरह तत्काल प्रभाव से लागू होने के कारण यह कदम

■ अमेरिका के कॉमर्स सैक्रेटरी हारवर्ड लुटनिक ने इस नये सर्विस टैरिफ लगाने को सही ठहराते हुए तर्क दिया कि अब अमेरिकी कंपनियों को यह निर्णय लेना होगा कि इतनी भारी फीस देकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल को रखना चाहिए या उनकी जगह किसी शिक्षित अमेरिकी नागरिक को नौकरी देना, ज्यादा अच्छा रहेगा।

■ जैसा कि विदित ही है, एच-1बी वीज़ा उन विदेशी कर्मचारियों के लिए लेना अनिवार्य होता था जो अमेरिका के नागरिक नहीं थे। पर, अमेरिका में एच-1बी वीज़ा लेकर नौकरी कर रहे थे।

■ अमेरिका के एच-1बी वीज़ा के कोटा का लगभग 70 प्रतिशत भारतीय प्रोफैशल्स के काम आता था, अब जानी मानी आईटी कंपनियां, जैसे टी.सी.एस., विप्रो, टैक महिन्द्रा, इन्फोसिस आदि को नई रणनीति बनानी होगी और प्रोफेशनल्स को विदेश भेजने का विकल्प छोड़कर भारत की भूमि पर काम करने की सुविधा प्रदान करनी होगी।

■ तथा, अब भारत को भी जवाबी कार्यवाही करते हुए अमेरिका से आयातित सामान पर जवाबी टैरिफ लगाना होगा। बोइंग हवाई जहाज की जगह फ्रांस के एयरबस विमान को खरीदने का ऑर्डर देना होगा।

उस टैक्नॉलजी क्षेत्र में भारी उथल-पुथल मचा सकता है जो मुख्य रूप से

इस सुविधा का उपयोग करता है। इनके अलावा, अमेरिकी स्वामित्व वाले छोटे

व्यवसाय और स्टार्टअप भी सीधे तौर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े’

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब भारत के खिलाफ निर्णय लेते हैं तो आश्चर्य की बात यह है कि इन फैसलों पर मोदी चुपची साध लेते हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष झुकना करार दिया लेकिन एक शेर-”झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर , सर इतना भी मत झुकाओ कि

■ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्रंप के विवादास्पद फैसलों पर मोदी के मौन की आलोचना करते हुए शायराना कटाक्ष किया।

दस्तार गिर पड़े”- के साथ उन्हें सलाह दी है कि ट्रम्प के हर निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार करने को बजाय उन्हें इस पर चुपची भी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री देश से बड़ा नहीं होता। यह खुलासा होना चाहिए कि क्या यह

दोस्ती किसी को बचाने के लिए है या कुछ राज है जिन पर पर्दा डालने के लिए है। उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रम्प ने मोदी की तारीफ की, उन्हेंमाय डियर फ्रेंडकहा और जन्मदिन पर बधाई दी तो मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश दिया ।

नयी दिल्ली, 20 सितंबर। भारत ने हिंद महासागर के नीचे काल्सबर्ग घाट क्षेत्र के 10 हजार वर्ग किलो मीटर के हिस्से में खनिजों के अन्वेषण का अधिकार हासिल किया है जिससे गहरे समुद्र के नीचे खनिजों के अन्वेषण और निकासी में भारत के प्रयासों को बल मिला है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) के बीच एक नए 15-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर की जानकारी दी।

इसके तहत भारत को काल्सबर्ग घाट क्षेत्र के उस 10 हजार वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में पॉलीमेटलिक सल्फाइड (पीएमएस) के अन्वेषण का विशिष्ट अधिकार होगा। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी,

राजस्थान में ई-

सिगरेट पर पूर्ण

पाबंदी लागू करें

जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई-सिगरेट की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। वहीं, इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करने के

■ हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व डीजीपी को 2019 में बने कानून के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिये।

लिए कहा है। खंडपीठ ने इस संबंध में साल 2019 में बनाए कानून के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए मुख्य सचिव व डीजीपी को भी दिशा-निर्देश दिए हैं।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजोत पुरोहित की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश प्रियांशा गुप्ता की पीआईएल पर दिए। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे विभिन्न रेंज हैड क्वार्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले अफसरों की एक टीम बनाएं, जो कानून (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करने पर इंजीनियर छात्र गिरफ्तार

जयपुर, 20 सितम्बर। अशोक नगर थाना पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कराई जा रही राजस्थान ग्रेड फोर्थ (चपरासी) भर्ती परीक्षा की पहली पारी में परीक्षा में नकल करते एक इंजीनियर छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभ्यर्थी स्मार्ट वॉच से चीटिंग कर रहा था। बॉट्सऐप के जरिए उसने क्वश्चन पेपर को परीक्षा

■ आरोपी रवि अंडर गारमेट में छिपाकर स्मार्ट वॉच परीक्षा केन्द्र में ले गया था तथा उसके माध्यम से नकल कर रहा था।

सेंटर से बाहर भेजा था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर नकल में प्रयुक्त स्मार्ट वॉच और बॉट्सऐप के जरिए पेपर भेजने वाले मोबाइल को जब्त कर लिया है।

अशोक नगर थानाधिकारी किशन कुमार ने बताया कि आरोपी रवि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप का एच-1बी वीज़ा के आदेश का कानूनी पक्ष बहुत कमज़ोर है

अमेरिका के राष्ट्रपति को, वीज़ा की एप्लीकेशन को प्रोसैस करने पर आयी लागत की भरपायी के लिए, फीस लगाने का वाजिब अधिकार है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 सितंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा आवेदनों पर 100,000 डॉलर (लगभग 83 लाख रूपये) फीस लगाने की घोषणा ने विश्व स्तर पर टैक्नॉलजी सेंक्टर में हलचल मचा दी है। यह फीस मौजूदा कुछ सौ डॉलर की पंजीकरण फीस से कई गुना अधिक है। इस निर्णय ने न केवल राजनीतिक बहस को हवा दी है, बल्कि कानूनी चुनौतियाँ भी पैदा कर दी हैं और उन शीर्ष अमेरिकी कंपनियों को भी चिंतित कर दिया है, जो कुशल विदेशी प्रतिभा पर निर्भर हैं।

ट्रंप प्रशासन ने इस बड़े शुल्क को अमेरिकी नौकरियों की रक्षा और कंपनियों पर अधिक घरेलू कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए दबाव बनाने के अपने एजेंडा का हिस्सा बताया है। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने कहा कि यह कदम सुनिश्चित करेगा कि केवल "बेहद कौशल" वाले लोग ही एच-1बी वीज़ा के लिए पात्र हों और इससे सस्ते विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता घटेगी।

लेकिन पूरे अमेरिका के कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश कानूनी रूप से कमज़ोर है। “इमिग्रेशन एंड नेशनल्टी एक्ट” (आईएमए) के तहत, अमेरिकी नागरिकता और आब्रजन सेवा (यूएस सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़-यूएससीआईएस) को वीज़ा प्रक्रिया की लागत वसूलने के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जहाँ लागत की वसूली एक वैध कानूनी अधिकार है, वहीं लागत वसूली के नाम पर 100,000 डॉलर का शुल्क वास्तविक प्रशासनिक खर्च से कहीं

■ पर, वॉशिंगटन के इमिग्रेशन मामलों के जाने माने वकील के अनुसार, अगर आवेदन पर लगाई गई फीस, खर्च से कहीं ज्यादा है तथा फीस लगाने का मकसद दण्डात्मक है, जिससे विदेशी प्रोफ़ेशनल्स का अमेरिका आना रोका जा सकेगा, तो न्यायालय राष्ट्रपति के इस आदेश को रद्द कर सकते हैं।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस आदेश को “एडमिनिस्ट्रिव प्रोसीजर एक्ट” (एपीए) के तहत चुनौती दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के तर्कसंगत, प्रमाण-आधारित और प्रक्रियात्मक रूप से उचित होने की मांग करता है। अगर अदालतों को यह शुल्क मनमाना, अनुपातहीन या लागत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बहुत अधिक है। वॉशिंगटन के एक इमिग्रेशन वकील ने कहा, “इतना ज्यादा शुल्क, लागत वसूली कम, बल्कि बाहरी लोगों को आने से रोकना ज्यादा लगता है। यह आदेश वैधानिक अधिकारों से परे जाकर दिया गया आदेश सिद्ध हो सकता है।”

विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस आदेश को “एडमिनिस्ट्रिव प्रोसीजर एक्ट” (एपीए) के तहत चुनौती दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के तर्कसंगत, प्रमाण-आधारित और प्रक्रियात्मक रूप से उचित होने की मांग करता है। अगर अदालतों को यह शुल्क मनमाना, अनुपातहीन या लागत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इस तरह भारत आईएसएस के साथ दो पीएमएस अन्वेषण अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला देश बना गया है और देश को एक अग्रणी निवेशक के रूप में मान्यता मिली है। यह कामयाबी मोदी सरकार की गहरे समुद्र में खनिजों के अन्वेषण और उत्खनन , खनन प्रौद्योगिकी विकास और भारत की नीली अर्थव्यवस्था पहल को सुदृढ़ करने की नीति के अनुरूप है।

■ पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि हिंद महासागर में काल्सबर्ग घाट के 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिजों के अन्वेषण के लिए भारत को 15 साल का अनुबंध मिला है।

सोना और प्लैटिनम जैसी मूल्यवान धातुएँ होती हैं। अफ़्रीकी महाद्वीप और भारत के बीच हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक समुद्र के नीचे तीन

लाख वर्ग किलो मीटर क्षेत में फैला काल्सबर्ग घाट क्षेत्र पॉलीमेटलिक सल्फाइड (पीएमएस) खनिज की संभावनाओं वाला क्षेत्र है।

जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए दो कैदियों में से एक पकड़ा गया

रात साढ़े तीन बजे 27 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हुए थे अनस व नवल किशोर

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर 20 सितम्बर। जयपुर सेंट्रल जेल से शनिवार सुबह दो कैदी पुलिस सुरक्षा को धता बताते हुए, 27 फीट ऊंची दीवार कूदकर फरार हो गए। शनिवार अलसुबह 3:30 बजे ये कैदी अनस और नवल किशोर पानी के पाइप के सहारे दीवार पर चढ़े और उसी पाइप से लटककर नीचे कूदकर भागे थे, परंतु पुलिसकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। शनिवार सुबह बंदियों की गिनती के समय जैसे ही जेल कर्मचारियों को दो कैदियों के फरार होने की जानकारी मिली तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

इसके बाद उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इस पूरे घटनाक्रम सामने आया। हालांकि पुलिस ने इन दोनों कैदियों में से एक बदमाश अनस को पकड़ लिया है, परंतु दूसरा कैदी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की

■ दूसरा कैदी नवल किशोर अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। सात जेल प्रहरी निर्लंबित किये गये। फरारी में जेल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत होने का शक किया जा रहा है।

जा रही है। इस घटना के बाद जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था और जेल प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हो गई है। इस मामले में जेल प्रशासन ने 7 जेल प्रहरियों को निर्लंबित कर दिया है। अब पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी गहन जांच की जा रही है। पुलिस को जेल में पहुंचा था,जबकि कैदी किसी कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती हैं,जैसा कि पिछले मामले में सामने आया था।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल (एडीजी) रुपेंद्र सिंह ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी अनस कुमार (28) और नवलकिशोर महावर (32) फरार हुए हैं। आरोपी अनस यूपी

के तालावाली बगिया फिरोजाबाद का रहने वाला है और नवल किशोर महावर इब्राहिमपुर थाना नई मंडी हिंडौन सिटी करौली का रहने वाला है। दोनों कैदी जेल के बाथरूम से निकलकर दीवार पर चढ़ कर फरार हुए हैं। दोनों बंदी इसी सप्ताह जेल में आए थे। बंदी अनस संगनेर से चोरी के मामले में 15 सितंबर को जेल में पहुंचा था,जबकि बंदी नवल किशोर मालपुरा से चोरी के मामले में 17 सितंबर को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था और दोनों ही 13 नंबर बैरक में बंद थे। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से बचकर भागने के दौरान उसके सिर पर चोट लग गई है। वहीं, दूसरे कैदी

नवल किशोर की अभी तलाशी की जा रही है। जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उस पर कड़ा एक्शन होगा।

जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदी फरार होने की इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने 7 जेल प्रहरियों को निर्लंबित किया है। शुरुआती जांच में इनकी लापरवाही सामने आयी है। इनमें दो मुख्य जेल प्रहरी भी शामिल हैं। डीजी जेल गोविंद गुप्ता के अनुमोदन पर एडीजी जेल रूपिंदर सिंह ने मुख्य जेल प्रहरी रेखा लखेर, प्रहरी अनिता जाजोरिया, मनोज कुमार मीणा, धर्मवीर गुर्जर ,रतन सिंह राठौड़, मनोज वर्मा और माया जाट को निर्लंबित कर दिया। इसके अलावा 13वौं बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) के कांस्टेबल ताराचंद,अशोक कुमार और सुभाष चंद को भी निर्लंबित कर दिया गया है।

शुक्रवार-शनिवार की रात्रिकालीन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समुद्र में देश की पहली सुरंग का निर्माण पूरा

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर। रेलवे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के घनसौली और शिलफाटा में किये गये सुरंग निर्माण को बड़ी सफलता करार देते हुए कहा है कि यह देश की पहली परियोजना है जिसके

■ मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत सोनीली और शिलफाटा के बीच यह सुरंग बनाई गई है।

तहत समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना में यह भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)